(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-2/2003-U.3
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
U.3(A) Section

Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-2/2003-U.3 dated 13.06.2007, on the advice of UGC, had declared Santosh University, Ghaziabad, Uttar Pradesh consisting of Santosh Medical College, Ghaziabad; and Santosh Dental College, Ghaziabad as "deemed to be University", subject to review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance and also to verify its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of the UGC's Expert Committees that visited and physically inspected them.

3. **And whereas**, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors, held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. **And whereas**, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Santosh University" to "Santosh" by deleting the word 'University' from its name vide Notification No.9-2/2003-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Santosh shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the **good** grade to Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

6. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh from 13.06.2008 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

Subba Rao

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Secretary, Medical Council of India (MCI), Pocket-14, Sector-8, Dwarka Phase-I, New Delhi-110075.
5. The Secretary, Dental Council of India (DCI), Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi-110002.
6. The Under Secretary (ME-P.II), Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health), Nirman Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Higher Education Department, Government of UP, Lucknow.
8. The Principal Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh, Health Department, Government of UP, Lucknow.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.

Subba Rao

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

स.एफ. 9-2/2003-यू.3
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दिनांक: 16 दिसंबर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13.06.2007 की अधिसूचना सं.9-2/2003-यू.3 के द्वारा संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद; और संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद सहित संतोष विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को इसके निष्पादन का मूल्यांकन करने और यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट की गई कमियों की पुष्टीकरण के संबंध में इसके अनुपालन को सत्यापित करने हेतु यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा एक वर्ष पश्चात समीक्षा करने के अध्यधीन "सम विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किया था।

3. **और जबकि,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03.11.2017 के ओड़ीशा लिफ्ट इरीगेशन लिमिटेड बनाम रबी संकर पेट्रो एवं अन्य द्वारा दायर की गई सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 (एसएलपी(ग) और संख्या 19807-19808/2017 (एसएलपी ग संख्या 35793-96/2012 से उत्पन्न), विजय कुमार और अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य के शीर्षक में अपने निर्णय आदेश में कहा कि यूजीसी, यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और सम विश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय' शब्द के उपयोग करने से प्रतिबंधित करने हेतु आज से एक माह के भीतर समुचित कदम उठाएगी।

4. **और जबकि,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 9-2/2003-यू3(ए) के माध्यम से "संतोष विश्वविद्यालय" के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द को हटाकर 'संतोष' इस शर्त के साथ बदल दिया कि संतोष अपने नाम से पूर्व

'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन साथ में कोष्ठक के साथ "सम विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख कर सकता है।

5. **और जबकि,** यूजीसी ने संतोष गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति, ने अपनी रिपोर्ट में, संतोष गाजियाबाद समविश्वविद्यालय को संस्था की शैक्षणिक निष्पादन पर अच्छे ग्रेड प्रदान किया था और उनकी सम विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने के लिए सिफ़ारिश की थी| आयोग द्वारा यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2019 को हुई इसकी 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार गया था जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा की रेटिंग प्रदान की गई थी, के सम विश्वविद्यालय का दर्जा होने के लिए जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया था। तथापि, ऐसे सम विश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्य निष्पादन हेतु ख़राब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी|"

6. अब इसलिए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर संतोष, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सम विश्वविद्यालय दर्ज़े को दिनांक 13.06.2018 से आगे विस्तार करती है।

5. संतोष, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित सभी शर्तें के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों की पूर्व अधिसूचना में अनुपालन किया जाएगा।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलिफोन: 011-230736887

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2. कुलपति, संतोष, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070
4. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), पॉकेट-14, सैक्टर-8, द्वारका फेज़-I, नई दिल्ली - 110075
5. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टैम्पल लेन, नई दिल्ली-110002
6. अवर सचिव (एमई-पी.II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन,नई दिल्ली-110001
7. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
8. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
9. पत्र कार्यालय ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध किया जाता है कि कृपया सीएमआईएस यूनिट इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना को प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

Subba Rao

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलिफोन: 011-230736887